

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- अप्रैल 18, 2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 86 वाहनों का चालान किया गया व बिना मास्क के 64 व्यक्ति से 10000/ रूपया शमन शुल्क वसूला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 110 जा0फौ0 मे 07 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मुरारी जायसवाल पुत्र स्वामीनाथ नि0 तिलकवनिया थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-87/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त प्रकाश चन्द चौधरी उर्फ डब्लू पुत्र फूलचन्द नि0 मुडिला थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब व 45 अदद सिल्क साडी जो पंचायत चुनाव में बाटने हेतु ले जा रही था बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-83/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम व 171E का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना सोहगीबरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजेश बिन्द पुत्र भुआल नि0 थाना नौरंगीया बिहार के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-03/21धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना सोहगीबरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त दीपक जायसवाल पुत्र स्व0 फेकू जायसवाल नि0 धर्मपुर थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-03/21धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त मो0 सलीम पुत्र मों अली सा0 पुरैना खण्डी चौरा थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 0 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मुअ0सं0 86/2021 धारा- 4/25 आर्म्स अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।

***विवेचनाओं का निस्तारण*-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-13 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

***जनपद में 17/18-4-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 22 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी* ।**